

न्यायालय उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 867 / 11-12

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0  
ग्राम-ज्योरी, परगना व  
तहसील नवाबगंज, बाराबंकी।

श्री अनिल कुमार ओझा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

नवाबगंज आदेश 01/08/2012

श्री अनिल कुमार ओझा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रेसीडेंट ट्रस्ट मयंक ओझा पुत्र सुधाकर ओझा निवासी 324 के0, राजेन्द्र नगर पश्चिम गोरखपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 दिया, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी की जमीन ग्राम ज्योरी परगना व तहसील नवाबगंज में गाटा संख्या 254 मि0/0.558 व 253 मि0/0.549 हे0 जो मसौली से देवां जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है जो कामर्शियल वैल्यू की भूमि है। भूखण्ड पर काफी समय से जोता बोया नहीं जाता है। जो काबिल काश्त नहीं रह गया है। इसके चारों तरफ आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियां विद्यमान है। उक्त भूमि पर रफी मेमोरियल इण्टर कालेज स्थित है। भूमि पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त गाटा संख्या को आकृषिक घोषित किये जाने हेतु याचना की गई है।

इस प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार नवाबगंज से कराई गई तहसीलदार की आख्या में कहा गया है कि उक्त भूमि संस्था के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। भूखण्ड मौके पर परती अकृषिक पड़े हैं भूमि के पास इण्टर कालेज व राइसमिल, आबादी विद्यमान है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि नहीं हो रही है। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधिनियम (नियम 135) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

मैंने तहसील की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी आकार पत्र नियम 135 सहित समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया। आकार पत्र नियम 135 के विशेष कालम के अनुसार उक्त भूमि पर आवासीय गतिविधियां होने के कारण कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है। पास में राइसमिल, इण्टर कालेज स्थित है चूंकि उक्त भूमि पर कृषि कार्य मत्स्य पालन कुक्कुट पालन, बागवानी आदि नहीं हो रहा है। अतएव इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है।

अतः ग्राम ज्योरी परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी की खतौनी वर्ष 1419-1424 फ0 की खाता संख्या 568 की गाटा संख्या -254 मि0/0.508, 253 मि0/0.549 मालगुजारी परता खाता को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तहसील की जांच आख्या आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 01 अगस्त 2012

(सुनील कुमार चौधरी)  
उपजिलाधिकारी, नवाबगंज,  
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी  
तारीख गुजरने परख्यास्त नकल... 1235-  
तारीख तैयारी... 12/21/2018  
तादाय कोर्ट की... 12/21/2018  
तादाय शब्द... 12/21/2018  
दस्तावेज नकल नवीन... 12/21/2018  
तारीख देने नकल... 12/21/2018

TRUE COPY



तहसीलदार  
नवाबगंज-बाराबंकी